न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2748–दो/2016 – विरूद्व आदेश दिनांक 28–6–16 – पारित व्दारा – तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना – प्रकरण कमांक 56 अ–70/2014–15

1– श्रीमती चन्द्रकला सिंह पत्नि मंगलसिंह
2– सुश्री अनीता सिंह पुत्री मंगल सिंह
निवासी खूँथी तहसील रघुराज नगर जिला सतना ———आवेदकगण

विरूद्व

सुरेश कुमार चौबे पुत्र स्व. रामकिशोर चौबे
निवासी खूँथी तहसील रघुराजनगर जिला सतना ——अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 24-10-2017 को पारित)

तहसीलदार रघुराज नगर जिला सतना के प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 56 अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार रघुराजनगर को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा खूँर्थी की भूमि सर्वे नंबर 89/1 ख रकबा 0.006 है. उनके स्वामितव की है किन्तु अनावेदक नजूल जमीन के लेख के आधार पर अतिकमण कर निर्माण करने के प्रयास में है जिसके व्दारा अवकाश का लाभ उठाते हुये दिनांक 11–7–15 को मौके पर पिलर की खुदाई करके निर्माण शुरू कर दिया है, इसलिये उसे रोका जाकर उन्हें कब्जा दिलाया जावे। तहसीलदार रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 56 अ 70/14–15 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान पेशी 24–6–16 को उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित रहे तथा साक्षी रामसुमिरन गर्ग एंव श्रीमती मिथलेश सिंह उपस्थित हुई एंव प्रकरण सॉयकाल 4.00 बजे प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया। सॉयकाल 5.30 बजे आवेदिका उपस्थित रही, किन्तु साक्षीगण का प्रति–

परीक्षण नहीं कराया गया। तहसीलदार रघुराजनगर ने पुनश्च कर अंतरिम आदेश दिनांक 24-6-16 से प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया एंव प्रकरण 25-6-16 को सुनवाई हेतु नियत किया। प्रकरण पुनः पुनश्च कर लिया गया तथा आवेदक के अभिभाषक की प्रतिपरीक्षण की मांग पर प्रतिपरीक्षण के बिन्दु के निराकरण के लिये प्रकरण नियत किया गया। पेशी 28-6-16 को निर्णीत किया गया कि दिनांक 24-6-16 को प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर अंतिम तर्क हेतु प्रकरण नियत है इसलिये पुनः अवसर नहीं दिया जा सकता। तहसीलदार के इन्हीं अंतरिम आदेश दिनांक 24-6-16 तथा 28-6-16 के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। अनावेदक अभिभाषक की लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने, अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि तहसीलदार के समक्ष 24-6-16 को अनावेदक के साक्षी क्रमांक 1 ने आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत शपथ पत्र पर दस्तावेज प्रदर्सित कराया है एंव साक्षी रामसुमिरन गर्ग एंव श्रीमती मिथलेश सिंह उपस्थित रहे हैं इसके वाद इनके प्रतिपरीक्षण के लिये प्रकरण 4.00 पी.एम. पर लेना आदेशित है। प्रकरण नियत समय 4.00 पर न लिया जाकर 5.30 पी.एम. (कार्यालय समाप्ति समय) पर लिया जाकर पुनश्च में इस प्रकार आदेश पत्रिका लिखी है :-

" आवेदिका उप0। अभि0उपस्थित नहीं। साक्षी उप0 प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया। अतः आवेदक अभि0 का प्रतिपरीक्षण न किये जाने से अवसर समाप्त किया जाता है। प्रकरण वास्ते अंतिम तर्क हेतु . सीएफ 25-6-16 तदुपरांत पुनश्च कर प्रकरण की आदेश पत्रिका पुनः इस प्रकार लिखी गई - आवेदक अभि0उप0 होकर प्रतिपरीक्षण हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया जिसका निराकरण नियत दिनांक को उभय पक्षों की उप0 में किया जावेगा 25-6-16 "

दिनांक 25-6-17 को उभय पक्ष उपस्थित रहे हैं किन्तु पेशी बढ़ाकर 28-6-16 नियत की गई। दि. 28-6-16 की आदेश पत्रिका इस प्रकार है :-

" प्रकरण पेश। उभय पक्ष अधि0 उप0 । प्रकरण पूर्व में पेशी दिनांक 24-6-16 को समय 5-30 पी0एम0 को प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर अंतिम तर्क हेतु नियत

किया जा चुका था लेकिन उसके पश्चात् आवेदक अधि. प्रतिपरीक्षण हेतु अवसर चाहा गया है । प्रकरण पूर्व से ही अंतिम अवसर हेतु नियत हो चुका है उसके पश्चात् आवेदक अधि. द्वारा प्रतिपरीक्षण का अवसर चाहा गया है। अतः पुनः अवसर नहीं दिया जा सकता है।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार नहीं है क्योंकि पेशी 24-6-16 को जब साक्षीगण एंव दोनों पक्षों के अभिभाषक उपस्थित थे, तत्समय ही साक्षीगण का प्रतिपरीक्षण करवा लेना था किन्तु तहसीलदार ने प्रतिपरीक्षण हेतु 4.00 पी.एम. समय प्रतिपरीक्षण के लिये नियत किया एंव 4.00 बजे प्रकरण न लेकर कार्यालय समाप्ति समय 5.30 पर प्रकरण लेकर आवेदक के अभिभाषक के उपस्थित न आने पर प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने में त्रुटि की गई है। इसी प्रकार कार्यालय समाप्ति समय 5.30 के वाद फिर से आदेश पत्रिका में पुनश्च अंकित करके प्रतिपरीक्षण के अवसर की मांग के निराकरण के लिये 25-6-16 की तिथि नियत की गई एंव इस दिन उभय पक्ष के अभिभाषकों के उपस्थित रहने के वाद भी प्रतिपरीक्षण पर निर्णय न लेते हुये आगामी पेशी 28-6-16 को प्रकरण लेकर प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने का निर्णय लेने में भूल की गई है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका दि. 24-6-16 एंव इसी दिन विभिन्न समयों पर दो वार पुनश्च कर अंकित आदेश पत्रिका के निर्णय तथा अंतरिम आदेश दि. 28-6-16 से प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने का निर्णय लेने में भूल की गई है जिसके कारण तहसीलदार का अंतरिम आदेश दि. 24-6-16 तथा 28-6-16 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि. 24-6-16 तथा 28-6-16 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि न्यायदान की दृष्टि से आवेदकगण को अनावेदक की साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण तीन माह की अवधि के भीतर कर दिया जावे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर